न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 118 / 2025(GCMS : 2025/127)

(पूर्व प्रकरण संख्या 21 / 2023– निर्णय 23.08.2023 एवं 12 / 2024 निर्णय दिनांक 18.03.2024)

बजाज हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी मुकेश मेघवंशी जिसका पंजीकृत कार्यालय मुम्बई–पुणे रोड़, अकुर्दी, पुणे, महाराष्ट्र–411035 तथा **कॉरपोरेट ऑफिस** – रोरी ब्रम आईटी पार्क बी2 बिल्डिंग, पांचवी मंजिल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र–411014 एवं शाखा कार्यालय – तीसरी मंजिल, लैण्ड मार्क टॉवर, जय क्लब, सी–स्कीम, जयपुर–302001 (राज.)

बनाम

1. **रमेश कुमार** पता वार्ड नं. 02, 14 एस, माझीवाला, गंगानगर, श्रीकरणपुर–335073 (राज.)
2. **शिल्पा रानी** पता वार्ड नं. 02, 14 एस, माझीवाला, गंगानगर, श्रीकरणपुर–335073 (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13.08.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक / कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री महादेव प्रसाद मिढ़ा एवं सुश्री माया वर्मा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 09.01.2025 की सत्यापित प्रति के साथ प्रस्तुत किया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने अपने आदेश दिनांक 09.01.2025 के पृष्ठ संख्या 03–04 के पैरा संख्या 5 में निम्न आदेश दिये हैः

> In view of the above, the order dated 18.03.2024 passed by the District Magistrate, Sri Ganganagar is quashed and set - aside and the matter is remitted back to the learned District Magistrate, Sri Ganganagar to reconsider the application filed by the petitioner under Section 14 of the Act of 2002 on its original number and proceed with the matter strictly in accordance with law.

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 09.01.2025 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज किया गया। पत्रावली का पुनः अवलोकन किया गया। प्रार्थी बैंक / कम्पनी द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:29:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

करने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2023 को खारिज कर उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए प्रकरण पुनः प्रस्तुत करने के आदेश दिये थे।

प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने इस न्यायालय के आदेश दिनांक 23.08.2023 की पालना किये बगैर पुनः दिनांक 27.02.2024 को वित्तिय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत पुनः प्रकरण पेश जो इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.03.2024 को खारिज किया गया था।

इस न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 18.03.2024 के विरूद्ध प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्रकरण संख्या 242/2025 पेश किया, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने अपने आदेश दिनांक 09.01.2025 से अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को पुर्नविचार कर विधिक प्रावधानानुसार निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया है।

प्रार्थी बैंक के प्रकरण का पुनः अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 04.06.2022 को भिजवाये जाने की रसीद और प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रक पत्रावली में उपलब्ध है किन्तु ऑनलाईन ट्रैक के पर रिपोर्ट **Item Retruned – No such person in the address** के अनुसार **अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत् तामील नहीं हुई** है और **दिनांक 27.06.2022 को वापिस प्रार्थी बैंक को वापिस प्राप्त हो गए**। वित्तिय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभमि हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियो को धारा 13(2) का 60 दिवस का नोटिस जारी करने पर यदि अप्रार्थीगण ऋणियों पर रजिस्टर्ड नोटिस की तामील नहीं होती है और अप्रार्थीगण नोटिस की तामील से बचने का प्रयास करते है तो **नोटिस की प्रति उनके निवास स्थान पर चस्पा कर, दो समाचार पत्रों में धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन करवाना आवश्यक होता है।** परन्तु प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 30.05.2022 को जारी कर, दिनांक **27.06.2022 को वापिस प्रार्थी बैंक को प्राप्त होने के पश्चात, धारा 13(2) के नोटिस की अप्रार्थीगण के निवास स्थान पर चस्पा**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:49:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

करने की कोई रिपोर्ट पत्रावली में **उपलब्ध नहीं है**, साथ ही प्रार्थी बैंक ने **एक ही समाचार पत्र बिजनेस स्टैंडर्ड के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण में धारा 13(2) के नोटिस प्रकाशन दिनांक 10.06.2022 को ही करवा दिया।**

नोटिस तामील के सम्बन्ध में वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 3 निम्नुसार अवलोकनीय है:

> **3. Demand Notice.-** (1) The service of demand notice as referred to in sub-section (2) of section 13 of the Ordinance shall be made by delivering [including hand delivery] or transmitting at the place where the borrower or his agent, empowered to accept the notice or documents on behalf of the borrower, actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, by registered post with acknowledgement due, addressed to the borrower or his agent empowered to accept the service or by Speed Post or by courier or by any other means of transmission of documents like fax message or electronic mail service:
>
> **Provided that where authorised officer has reason to believe that the borrower or his agent is avoiding the service of the notice or that for any other reason, the service can not be made as aforesaid, the service shall be effected by affixing a copy of the demand notice on the outer door or some other conspicuous part of the house or building in which the borrower or his agent ordinarily resides or carries on business or personally works for gain and also by publishing the contents of the demand notice in two leading newspapers, one in vernacular language, having sufficient circulation in that locality.**
>
> (2) Where the borrower is a body corporate, the demand notice shall be served on the registered office or any of the branches of such body corporate as specified under sub-rule (1).
>
> (3) Any other notice in writing to be served on the borrower or his agent by authorised officer, shall be served in the same manner as provided in this rule.
>
> (4) Where there are more than one borrower, the demand notice shall be served on each borrower.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:29:05 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा [illegible] के नोटिस दिनांक 30.05.2022 को जारी कर रजिस्टर्ड डाक [illegible] 04.06.2022 को भिजवाया जाना अंकित है और धारा 13(2) के नोटिस की तामील अप्रार्थीगण

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

ऋणी/सहऋणी/गारंटर स्वयं पर होनी आवश्यक है जबकि समस्त अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की स्वयं पर नहीं हुई है जो उक्त **The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 के Rule 3** के प्रावधानों की अवहेलना है। इस प्रकार समस्त अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत् तामील होना नहीं माना जा सकता।

चूंकि अप्रार्थीगण पर उक्त Rule 3 के प्रावधानों के तहत धारा 13(2) के नोटिस की तामील न होने के कारण, प्रार्थी बजाज हाउसिंग फाईनेंस लि. का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 स्वीकार योग्य नहीं हैं। **प्रार्थी बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए, सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे कर पुनः धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर, बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:29:05 IST
Reason: SelfAttested